



## भारत का MSME क्षेत्र

यह एडिटरियल 07/05/2024 को 'द हट्टू' में प्रकाशित "[MSMEs are not paid on time. They need to be](#)" लेख पर आधारित है। इसमें MSME क्षेत्र में वलिंबति भुगतान के मुद्दों और इसलिये इस क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता के बारे में चर्चा की गई है।

### प्रलिमिस के लिये:

[MSME क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006, सकल घरेलू उत्पाद, वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र](#)।

### मेन्स के लिये:

भारत के विकास पथ में MSME का महत्त्व तथा संबंधित चुनौतियाँ।

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम \(Micro, Small and Medium Enterprises- MSMEs\) क्षेत्र](#) भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक बन गया है, जो कम पूंजी निवेश के साथ [उद्यमशीलता](#) को बढ़ावा देता है और रोजगार के उल्लेखनीय अवसर सृजित करता है। यह देश के समावेशी औद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहाँ सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों को पूरकता प्रदान करता है।

हालाँकि इस महत्त्वपूर्ण योगदान के बावजूद, MSME क्षेत्र वित्त तक पहुँच, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और वैश्विक बाजार की प्रतिस्पर्धात्मकता सहित कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है।

## MSMEs:

- **परिचय:** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) ऐसे व्यवसाय हैं जो वस्तुओं एवं पण्यों (कमोडिटी) का उत्पादन, प्रसंस्करण और संरक्षण करते हैं।
  - इन्हें मोटे तौर पर **वनिर्माण के लिये संयंत्र और मशीनरी या सेवा उद्यमों** के लिये साधन में उनके निवेश के साथ-साथ उनके वार्षिक कारोबार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
- **भारत में MSME वनियमन:** वर्ष 2007 में **लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का परस्पर वलिय कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय** का गठन किया गया।
  - यह मंत्रालय MSMEs को समर्थन देने और उनके विकास में सहायता प्रदान करने के लिये नीतियाँ विकसित करता है, कार्यक्रमों को सुगम बनाता है तथा कार्यान्वयन की नगिरानी करता है।
  - [सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 \( Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act of 2006\)](#) MSME क्षेत्र को प्रभावित करने वाले वभिन्न मुद्दों को संबोधित करता है, MSMEs के लिये एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना करता है, 'उद्यम' की अवधारणा को परिभाषित करता है और MSME की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिये केंद्र सरकार को सशक्त करता है।

CLASSIFICATION	MICRO	SMALL	MEDIUM
Manufacturing Enterprises and Enterprises rendering Services	Investment in Plant and Machinery or Equipment: Not more than Rs.1 crore and Annual Turnover ; not more than Rs. 5 crore	Investment in Plant and Machinery or Equipment: Not more than Rs.10 crore and Annual Turnover ; not more than Rs. 50 crore	Investment in Plant and Machinery or Equipment: Not more than Rs.50 crore and Annual Turnover ; not more than Rs. 250 crore

//

## भारत की विकास यात्रा में MSMEs का महत्त्व:

- **GDP में योगदान और रोजगार सृजन:** MSMEs वर्तमान में **भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** में लगभग 30% का योगदान देते हैं, जो आर्थिक विकास को गति देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - इसके अलावा, MSMEs श्रम-प्रधान क्षेत्र हैं और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे वर्तमान में भारत में 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं।
  - उदाहरण के लिये, **वस्त्र उद्योग**—जिसमें लघु-स्तरीय इकाइयों का प्रभुत्व है, कलाई, बुनाई और परिधान निर्माण जैसी गतिविधियों में बड़ी संख्या में कामगारों को रोजगार प्रदान करता है।
- **निर्माण उत्पादन में योगदान:** MSMEs देश के **निर्माण उत्पादन में, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग और रसायन जैसे क्षेत्रों में**, महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **आगरा का फुटवियर उद्योग** (जहाँ मुख्य रूप से MSMEs सक्रिय हैं) भारत के फुटवियर निर्यात में 28% की हस्तिसेदारी रखता है।
- **निर्यात संवर्द्धन:** वर्तमान में MSMEs भारत के कुल निर्यात में लगभग 45% का योगदान करते हैं। उनकी विविध उत्पाद शृंखला, जो प्रायः विशिष्ट बाजारों (niche markets) की मांग को पूरा करती है, वैश्विक व्यापार क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को सुदृढ़ करती है।
  - **भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र** (जहाँ छोटे पैमाने के कारीगरों एवं उद्यमों का प्रभुत्व है) का अपना एक वैश्विक बाजार है और यह देश के लिये उल्लेखनीय मात्रा में निर्यात राजस्व उत्पन्न करता है।
- **ग्रामीण औद्योगीकरण:** MSMEs ग्रामीण औद्योगीकरण को आगे बढ़ाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - **खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र**, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में सहायक रहा है।
- **नवाचार और उद्यमिता:** MSME क्षेत्र नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है, क्योंकि छोटे व्यवसायों के लिये बदलती बाजार स्थितियों के अनुकूल बनना और नए उत्पादों या सेवाओं को पेश करना प्रायः आसान होता है।
  - उदाहरण के लिये, **भारत में स्टार्टअप पारितंत्र** (वर्षों में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारितंत्र), जो कबड़े पैमाने पर MSMEs द्वारा संचालित है, ने ई-कॉमर्स और फ्लिपकार्ट जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कई नवोन्मेषी समाधानों को जन्म दिया है।

## MSMEs से संबंधित भारत सरकार की प्रमुख पहलें:

- **प्रधानमंत्री मृदा योजना:** यह गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। इन ऋणों को **मृदा ऋण (MUDRA loans)** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **क्रेडिट गारंटी योजनाएँ:** यह बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के लिये जोखिम को कम करने हेतु 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये **क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट**' (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises- CGTMSE) द्वारा पेश किया जाता है, जिससे MSMEs के लिये ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है।
- **MSME समाधान (MSME SAMADHAAN):** यह सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (Micro and Small Enterprise Facilitation Council) द्वारा शासित एक ऑनलाइन विलंबित भुगतान निगरानी प्रणाली (Delayed Payment Monitoring System) है, जो पीड़ित MSMEs द्वारा विलंबित भुगतान पर संदर्भ प्राप्त करने या फाइलिंग पर विवादों का निपटारा करती है। पीड़ित MSMEs ऑनलाइन माध्यम से अपने मामले दर्ज कर सकते हैं और अद्यतन स्थिति की जानकारी पा सकते हैं।
- **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM):** यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MSMEs से सार्वजनिक खरीद की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उन्हें व्यापक बाजार तक पहुँच प्राप्त होती है।
- **उद्यम पंजीकरण (Udyam Registration):** यह MSMEs के लिये सरकारी लाभ एवं योजनाओं का लाभ उठा सकने के लिये एक सरल ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया है।
- **चैंपियंस पोर्टल (CHAMPIONS Portal):** यह एक ICT संचालित निर्यात कक्षा एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली है जो आधुनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादन और राष्ट्रीय सामर्थ्य बढ़ाने पर केंद्रित है।
  - इसका उद्देश्य भारतीय MSMEs को उनकी समस्याओं का समाधान करने और मार्गदर्शन, समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के माध्यम से राष्ट्रीय एवं वैश्विक चैंपियन बनने में मदद करना है।

## MSMEs से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ:

- **वित्त तक पर्याप्त पहुँच का अभाव:** मुद्रा ऋण जैसी सरकारी योजनाओं के बावजूद, MSMEs के लिये ऋण प्राप्त करना अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
  - पारंपरिक बैंक सीमिति क्रेडिट हिस्ट्री एवं संपार्श्विक के कारण प्रायः उन्हें **उच्च जोखिम उधारकर्ता** के रूप में देखते हैं।
  - इससे वसितार, नवाचार और कार्यशील पूंजी में निवेश करने की MSMEs की क्षमता सीमिति हो जाती है।
- **वलिंबति भुगतान:** बड़े उद्यमों या सरकारी एजेंसियों से **वलिंबति भुगतान का मुद्दा MSMEs के समक्ष वदियमान प्रमुख चुनौतियों में से एक है।**
  - इससे उनकी कार्यशील पूंजी और नकदी प्रवाह पर गंभीर दबाव पड़ सकता है, जिससे **सुचारू परचालन की उनकी क्षमता प्रभावित** हो सकती है।
  - प्रदत्त वस्तुओं या सेवाओं के लिये भुगतान प्राप्त करने में देरी के कारण कसिी छोटे आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार के लिये गंभीर वतितीय कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे उनके लिये व्यावसायिक गतिविधियों को बनाये रखना खतरे में पड़ सकता है।
- **सीमिति कुशल कार्यबल:** कई MSMEs को उन्नत मशीनरी के संचालन या नई तकनीकों के क्खियान्वयन के लिये आवश्यक कौशल रखने वाले कामगारों की खोज में संघर्ष करना पड़ता है। इससे **अक्षमता, उत्पादन में देरी और उत्पाद की गुणवत्ता में कमी की स्थिति बिन सकती है।**
- **सीमिति ब्रांडिंग और आउटरीच:** MSMEs के पास प्रायः **अपने उत्पादों का प्रभावी ढंग से वपिणन करने और ब्रांड जागरूकता पैदा करने के लिये संसाधनों एवं वशिषज्जता की कमी** होती है। इससे बड़ी कंपनियों या स्थापित ब्रांडों के साथ, वशिष रूप से ऑनलाइन मार्केटप्लेस में, प्रतस्पर्द्धा करना कठिन हो जाता है।
- **अवसंरचना संबंधी बाधाएँ:** **खराब सड़क संपर्क, अवशिषसनीय बजिली आपूर्त और आधुनिक सुवधियाँ तक पहुँच की कमी** जैसी अपर्याप्त अवसंरचना MSMEs के संचालन एवं विकास में गंभीर बाधा उत्पन्न कर सकती है।
  - ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थिति कसिी लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाई को सड़क की बढहाल स्थिति के कारण अपने उत्पादों को बाज़ार तक पहुँचाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है या अनियमिति बजिली आपूर्त के कारण उत्पादन कार्य में बार-बार व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है।

## आगे की राह

- **MSME इनोवेशन हब:** भौतिक या आभासी MSME इनोवेशन हब या नवाचार केंद्र की स्थापना करना। ये नवाचार केंद्र MSMEs को उद्योग वशिषज्जों, शोधकर्ताओं और सलाहकारों से जोड़ने में मदद कर सकते हैं।
  - वे ज्ञान साझेदारी, नवोन्मेषी उत्पादों के सह-नरिमाण और उन्नत प्रौद्योगिकियों या डिज़ाइन वशिषज्जता तक पहुँच को सुगम बना सकते हैं।
  - इस नवाचार केंद्र में कोई **MSME परधान नरिमाता** कसिी डिज़ाइन वशिषज्ज के साथ सहयोग स्थापित कर एक नई वस्त्र शृंखला वकिसति कर सकता है, जिससे उन्हें नवाचार को बढावा देने और बाज़ार में भन्निन या वशिषिट स्थिति प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- **ब्लॉकचेन-संचालित स्मार्ट अनुबंध:** ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और स्मार्ट अनुबंधों का लाभ उठाने से MSMEs के लिये भुगतान चक्र में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है।
  - MSMEs और उनके ग्राहकों (बड़े उद्यम या सरकारी एजेंसियाँ) के बीच सुरक्षित एवं पारदर्शी लेनदेन की सुवधि के लिये **ब्लॉकचेन-आधारित प्लेटफॉर्म** वकिसति कथिया जा सकता है।
- **AI-संचालित मॉटरशिप कार्यक्रम:** AI-संचालित मॉटरशिप कार्यक्रम वकिसति कथिया जाना चाहिये जो MSMEs को उनकी वशिषिट आवश्यकताओं और उद्योग डेटा के आधार पर वक्यकतगित मार्गदर्शन एवं सलाह प्रदान करेगा।
  - इससे वशिष रूप से दूरदराज के स्थानों पर स्थिति MSMEs के लिये **मॉटरशिप तक पहुँच में वदियमान अंतराल को दूर** कथिया जा सकता है।
- **डिजिटल परविरतन को अपनाना:** इस डिजिटल युग में MSMEs को प्रतस्पर्द्धी बने रहने के लिये प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा।
  - इसमें **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना**, डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियों को अपनाना और उनके परचालन में ऑटोमेशन एवं डिजिटलीकरण को लागू करना शामिल है।
  - **कौशल उन्नयन कार्यक्रम**, डिजिटल साक्षरता अभियान और प्रौद्योगिकी अंगीकरण के लिये प्रोत्साहन जैसी पहलें इस डिजिटल परविरतन को गति प्रदान कर सकती हैं।
- **सतत उद्यमिता को बढावा देना:** MSMEs के बीच सतत/संवहनीय और सामाजिक रूप से उत्तरदायी व्यावसायिक अभ्यासों को प्रोत्साहित करने से पर्यावरण एवं समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
  - इसमें पर्यावरण अनुकूल उत्पादन वधियों को बढावा देना, हरति उद्यमिता का समर्थन करना तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है।
- **वैश्विक बाज़ार में पहुँच बनाना:** वैश्वीकरण के उदय के साथ, MSMEs को अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में पैठ बनाने के लिये तैयार रहना चाहिये।
  - **नरियात संवर्द्धन कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुवधि केंद्र और सफल नरियातकों से मार्गदर्शन जैसी पहलें** MSMEs को वैश्विक व्यापार की जटिलताओं से निपटने में मदद कर सकती हैं।

**अभ्यास प्रश्न:** भारतीय MSMEs के समक्ष वदियमान बाधाओं की पड़ताल कीजिये और इन बाधाओं को कम करने में सरकार द्वारा कथिया जा रहे प्रयासों का आकलन कीजिये। भारत की अर्थव्यवस्था और रोज़गार सृजन में MSME क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, इसके विकास एवं प्रतयास्थता को बढावा देने के लिये आवश्यक रणनीतियों का प्रस्ताव कीजिये।

**यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न**

**?????????:**

**प्रश्न. वननिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार ने कौन-सी नई नीतगत पहल की है/हैं? (2012)**

1. राष्ट्रीय नविश तथा वननिर्माण क्षेत्रों की स्थापना ।
2. एकल खड्डिकी मंजूरी (सगिल वडिओ क्लीयरेंस) की सुवधि प्रदान करना ।
3. प्रौद्योगिकी अधगिरहण तथा विकास कोष की स्थापना ।

**नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:**

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

**उत्तर: (d)**

**प्रश्न. सरकार के समावेशति वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में नमिनलखिति में से कौन-सा/से कार्य सहायक साबति हो सकता/सकते है/हैं? (2011)**

1. स्व-सहायता समूहों (सेलफ-हेल्प ग्रुप्स) को प्रोत्साहन देना ।
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना ।
3. शक्तिषा का अधिकार अधनियिम लागू करना ।

**नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:**

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

**उत्तर: (d)**

**प्रश्न. भारत के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2023)**

1. 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वकिस (एम.एस.एम.ई.डी) अधनियिम, 2006 के अनुसार, जनिका संयंत्र और मशीनरी में नविश 15 करोड़ से 25 करोड़ रुपए के बीच है, वे 'मध्यम उद्यम' हैं ।
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दयि गए सभी बैंक ऋण प्राथमकितता क्षेत्रक के अधीन अरह हैं ।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

**उत्तर: (b)**